भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 137
18.07.2022 को उत्तर के लिए

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र

137. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डॉ. कस्तूरी रंगन पैनल रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के अनुसार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और उनका सीमांकन करने की अंतिम अधिसूचना जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल और कर्नाटक में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में स्थिति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) क्या सरकार को केरल और कर्नाटक राज्य सरकारों द्वारा डॉ. कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से संबंधित चिंताओं के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया गया है जो इस क्षेत्र में लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने केरल, जहां एक महत्वपूर्ण आबादी प्रस्तावित बफर जोन में और उसके आस-पास रहती है, सहित विभिन्न राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए सिफारिश रिपोर्ट के संशोधित आकलन की मांग की है, और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ड.) इस मंत्रालय ने कस्तूरीरंगन पैनल रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) को घोषित करने के लिए अंतिम अधिसूचना जारी करने की दृष्टि से, छह राज्यों अर्थात् गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 56,825 वर्ग किलोमीटर के फैले हुए के पारि-संवेदनशील क्षेत्र के साथ दिनांक 10.02.2014 को प्रारूप अधिसूचना संख्या एस.ओ. 733(अ) जारी की है।

कस्तूरीरंगन पैनल (उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह) रिपोर्ट में की गई अनुशंसा से ईएसए क्षेत्र को कम/संशोधित करने के लिए राज्यों की लगातार मांग के साथ, पश्चिमी घाट ईको-संवेदनशील क्षेत्र के लिए अंतिम अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की जा सकी। जबकि, 6 राज्यों को इस अधिसूचना के दायरे में लाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए, मंत्रालय ने इसके बाद इसी ईएसए क्षेत्र के साथ प्रारूप अधिसूचना को चार बार अर्थात् दिनांक 04.09.2015 एस.ओ. 2435(अ); दिनांक 27.02.2017 एस.ओ. 667 (अ); दिनांक 03.10.2018 एस.ओ. 5135(अ) और दिनांक 06.07.2022 एस.ओ. 3072(अ) के अधीन पुन: प्रकाशित किया। वर्तमान में, दिनांक 06.07.2022 की नई प्रारूप अधिसूचना को अनिवार्य रूप से 60 दिनांक के भीतर प्रकाशित करने के लिए हितधारकों से परामर्श लिया जा रहा है।

पश्चिमी घाट के ईएसए को अधिसूचित करने में एक अनुकूल और सुसंगत दृष्टिकोण का पालन करने के लिए, मंत्रालय अनेक स्तरों पर पश्चिमी घाट क्षेत्र के सभी राज्यों के साथ बातचीत कर रहा है। केरल और कर्नाटक राज्य सरकार सहित संबंधित राज्य सरकारों के सुझावों और/या अनुशंसाओं और समग्र रूप से क्षेत्र के पर्यावरणीय सरकारों को ध्यान में रखते हुए और आपदा संभावित पुरातन पारि-प्रणाली के संरक्षण पहलुओं और क्षेत्र के अधिकारों, विशेषाधिकारों, आवश्यकताओं और विकास संबंधी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना को अंतिम रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पहले ही छह राज्य सरकारों की सरोकारों/सुझावों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

*****